



50
क्षेत्रीय कार्यालय-उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1180/OA-274/2022/2023

दिनांक 13/10/2023

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Compliance report of Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi Order dated 17-07-2023 in OA No-274/2022 Prem Aggarwal & Ors. Versus Govt. of NCT of Delhi & Ors.

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject the compliance reports of Hon'ble National Green Tribunal, order dated 17-07-2023 in OA No-274/2022 Prem Aggarwal & Ors. Versus Govt. of NCT of Delhi & Ors. Compliance report is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: Compliance report.

Yours Sincerely


(Vikas Mishra)
Regional Officer

Copy to:

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

51
BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 274 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Prem Aggarwal

...Applicant

Versus

Govt. of NCT Delhi & Ors.

...Respondent(s)

INDEX

Sr. No.	Description	Pg. No.
1.	Uttar Pradesh Pollution Control Board's Response in Compliance of Hon'ble National Green Tribunal's order dated 17.07.2023 in OA 274/2022	1-4
2.	<u>Annexure-I</u> – Analysis report of Sahibabad drain.	5-5
3.	<u>Annexure-II</u> – Analysis report of Indirapuri drain and Banthla Drain.	6-6
4.	<u>Annexure-III</u> – Show Cause Notice of M/s Sidra Washing, Plot no. 8 Khasra No. 96/3 Arya Nagar Industrial Area Loni Ghaziabad.	7-8
5.	<u>Annexure-IV</u> – Show Cause Notice of M/s Jai Maa Garments, A-16, Roop Nagar Industrial Area Loni, Ghaziabad.	9-10
6.	<u>Annexure-V</u> – Show Cause Notice of M/s Lakshya Enterprises (Old Name Shikha Enterprises) – A-44, Roop Nagar Industrial area Loni, Ghaziabad.	11-12
7.	<u>Annexure-VI</u> – Show Cause Notice of M/s Nisha Print, A-11, Roop Nagar Industrial area Loni, Ghaziabad.	13-14
8.	<u>Annexure-VII</u> – Show Cause Notice of M/s. M.A. Garments, Plot No-20/6/21, Site-4 Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad.	15-16
9.	<u>Annexure-VIII</u> – Show Cause Notice of M/s. M/s. Shree Mahaveer Enterprises, Plot No-28/1/15, Site-4 Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad.	17-18

FILED BY



(Vikas Mishra)

Regional Officer

UPPCB, Ghaziabad

Uttar Pradesh Pollution Control Board's Response in Compliance of Hon'ble national Green Tribunal, Delhi in OA No. 274/2022 Prem Aggarwal & Ors. Versus Govt. of NCT of Delhi & Ors.

Hon'ble national Green Tribunal, Delhi in OA No. 274/2022 Prem Aggarwal & Ors. Versus Govt. of NCT of Delhi & Ors. direction issued on dated 17.07.2023, as below:-

“5. It is to pointed out that the Tribunal in several matters has directed that storm water to be exclusively meant for diverting storm water. We find that Delhi and Ghaziabad both are using Shahdara drain as “open sewer”.All the inlets of sewers/drainage carrying sewage joining Shahdara drain need interception and diverting to STP. We find that no mention is made on quantification of sewage/sullage flowing by both the authorities and plan for treatment.

6. Accordingly, we direct the State PCB to ensure the compliance of Environmental Rules and to ensure that the untreated effluents may not be discharged in the Shahdara drain or remedial measures should be taken for treatment of water and to ensure compliances, and in case of violation, may impose and calculate Environmental Compensation. The amount shall be utilized for environmental purposes.

7. Further action taken report by the District Magistrate, DPCC and UP State PCB is directed to be submitted within four weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of Image PDF....”

In the compliance of the above aforesaid mentioned orders officials of the UPPCB did the survey at Sahibabad Drain, Indirapuri Drain & Banthara Drain.

Detailed report is mentioned below :-

Sahibabad Drain: -

Sahibabad drain carries untreated domestic effluent of residential areas Bhopura, Gagan Vihar, Shalimar Garden, Garima garden, Janakpuri, Pasaunda, rahjendra Nagar Residential area, Village Sahibabad, Village Jhandapur, village Karkar mandan, Village Maharajpur, Chander Nagar, Surya Nagar, Kaushambi & Vaishali etc. and carries treated effluent of industries located in Sahibabad Industrial Area and Rajendra Nagar Industrial Area. Sahibabad drain is partially tapped for treatment near NH-24 in 74MLD STP at Indirapuram before entering in Delhi at Ghazipur. Rest effluent of Sahibabad drain meets in Shahdara Drain and finally meets in Yamuna River in Okhla Barrage.

Presently Sahibabad Industrial area is being used for Industrial, Commercial as well as institutional activities. As per office records, there are 113 water polluting industries situated / operated in the catchment area of the Sahibabad Drain.

Officials of UPPCB have taken samples from various points of Sahibabad Drain during the survey. The analysis results (**Annexure-I**) of drain sample collected from Various points as shown below: -

S.No	Sampling point	pH	Color	Odour	B.O.D mg/L	C.O.D mg/L	TSS mg/L
1.	Sahibabad Village Site-4, Sahibabad Ghaziabad	6.88	Turbid	Faint	116.0	156.0	62.0
2.	Rapid Rail Metro Station, Site-4, Sahibabad Ghaziabad	6.60	Turbid	Unpleasant	99.0	210.0	91.0
3.	Surya Nagar Bridge	6.70	Turbid	Faint	93.0	276.0	58.0
4.	Near Country Inn Hotel Site-4, Sahibabad Ghaziabad	6.76	Turbid	Faint	92.0	280.0	65.0
5.	Sahibabad Drain Tapping Point	7.82	Blackish	Unpleasant	97.0	248.0	72.0

The above analysis results of the drain's sample collected from various location indicates the characteristics of untreated domestic effluent.

Indirapuri Drain and banthla drain:-

Indirapuri drain carries untreated domestic effluent of residential areas ikram nagar, Dehroti khurd, Balram Nagar, Indirapuri Colony etc and carries treated effluent of industries located in Roop nagar Industrial Area, Shyam Industrial area, Arya Nagar Industrial area and Rural Industrial area. Indirapuri drain meets in Shahdara Drain near Jauharipur and finally meets in Yamuna River in Okhla Barrage.

Banthala drain is mainly carries untreated domestic effluent of residential areas Behta Hajipur, Gulab Vatika and Banthla etc. No industrial estate is located in the catchment of this drain. Banthla drain meets in Shahdara Drain near near Ganga Vihar and finally meets in Yamuna River in Okhla Barrage.

Officials of UPPCB have taken samples from various point of Indirapuri and Banthla Drain during the survey. The analysis results (**Annexure-II**) of drains sample collected from various points as shown below:-

Sl.No	Sampling point	Date	54 pH	Color	B.O.D mg/L	C.O.D mg/L	TSS mg/L
1	Indirapuri	08.10.2023	6.90	Turbid	25.0	93.0	107.0
2	Banthala	08.10.2023	6.72	Turbid	38.0	126.0	144.0

- The above analysis results of the drain's sample collected from various location indicates the characteristics of untreated domestic effluent.

Action taken: -

The industries situated in the catchment area of these drains are being regularly monitored and inspected. Accordingly, actions are taken under the Environmental Acts against the non-complying industries. Thus, it is ensured that industries should discharge their effluent after being properly treated as per the Environmental Norms. Regular actions are also being taken against the defaulting industries.

Details of some of the latest action taken are given below:-

Sr. No.	Name & Address	Action Taken
1	M/s Sidra Washing Plot-8, Khasra No. 96/3 Arya Nagar Industrial Area Loni, Ghaziabad.	UPPCB issued Show Cause notice dated 12.10.2023 under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 along with impositions of Environmental compensation Rs.15000/- per day till the compliance has been done by the industry (Annexure-III)
2	M/s Jai Maa Garments A-16, Roop Nagar Industrial Area, Loni, Ghaziabad	UPPCB issued Show Cause notice dated 12.10.2023 under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 along with impositions of Environmental compensation Rs.15000/- per day till the compliance has been done by the industry (Annexure-IV)
3	M/s. Laskhya Enterprises (Old Name Sikha Enterprises), A-44, Roop Nagar Industrial Area, Loni, Ghaziabad	UPPCB issued Show Cause notice dated 12.10.2023 under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 along with impositions of Environmental compensation Rs.15000/- per day till the compliance has been done by the industry (Annexure-V)
4	M/s. Nisha Prints, A-11, Roop Nagar Industrial Area, Loni, Ghaziabad	UPPCB issued Show Cause notice dated 12.10.2023 under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 along with impositions of Environmental compensation Rs.15000/- per day till the compliance has been done by the industry (Annexure-VI)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3-

5	M/s. M.A. Garments, Plot No-20/6/21, Site-4 Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad	UPPCB issued Show Cause notice dated 12.10.2023 under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 along with impositions of Environmental compensation Rs.15000/- per day till the compliance has been done by the industry (Annexure-VII)
6	M/s. Shree Mahaveer Enterprises, Plot No-28/1/15, Site-4 Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad.	UPPCB issued Show Cause notice dated 12.10.2023 under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution Act. 1974 along with impositions of Environmental compensation Rs.15000/- per day till the compliance has been done by the industry (Annexure-VIII)



(N.K. Pandey)
Assistant Environmental Engineer
U.P. Pollution Control Board,
Ghaziabad.



(Kunwar Santosh Kumar)
Assistant Environmental Engineer
U.P. Pollution Control Board,
Ghaziabad.

**Regional Office
U.P Pollution Control Board
Ghaziabad**


Analysis Report of Sahibabad Drain

Collected by: D.D Verma (L.A)

Date: 06.10.2023

S.No	Sampling point	pH	Color	Odour	B.O.D mg/L	C.O.D mg/L	TSS mg/L
1.	Sahibabad Village Site-4, Sahibabad	6.88	Turbid	Faint	116.0	156.0	62.0
2.	Rapid Rail Metro Station, Site-4, Sahibabad Ghaziabad	6.60	Turbid	Unpleasant	99.0	210.0	91.0
3.	Surya Nagar Bridge	6.70	Turbid	Faint	93.0	276.0	58.0
4.	Near Country Inn Hotel Site-4, Sahibabad Ghaziabad	6.76	Turbid	Faint	92.0	280.0	65.0
5.	Sahibabad Drain Tapping Point	7.82	Blackish	Unpleasant	97.0	248.0	72.0


L.A.


S.A.
13.10.23

Regional Office
Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ghaziabad
Analysis Report of Drains

Sr. No	Sampling point	Date	pH	Color	B.O.D mg/L	C.O.D mg/L	TSS mg/L	Total coliform MPN/100ml	Fecal coliform MPN/100ml
1	Banthala Drian, Loni, Ghaziabad	08.10.2023	6.72	Turbid	38.0	126.0	144.0	3900000	330000
2	Indirapuri, Drian, Loni, Ghaziabad	08.10.2023	6.90	Turbid	25.0	93.0	107.0	2600000	170000


L.A.


13.10.23
S.A.

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- 40/872 / C-1 / जी-306 / का0ब0नो0 / 2023

Date: 12.10.23

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स सिदरा वाशिंग,
प्लॉट नं0-08, खसरा नं0-96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी,
गाजियाबाद।

यह कि इकाई मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0-08, खसरा नं0-96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद जो कि डाइंग एण्ड वाशिंग ऑफ गारमेन्ट के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 248/2023 वरुण गुलाटी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश 17.07.2023 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा उद्योग मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0-08, खसरा नं0-96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद का निरीक्षण 06.10.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण कराया गया। आख्यानसार नमूने में प्रचालकों की मात्रा मानकों से अधिक पायी गयी। इकाई द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

यह कि उद्योग मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0-08, खसरा नं0-96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन इकाई मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0-08, खसरा नं0-96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0-08, खसरा नं0-96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?
2. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0-08, खसरा नं0-96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत इकाई मैसर्स सिदरा वाशिंग, प्लॉट नं0-08, खसरा नं0-96/3, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गार्डडलाईन के आधार पर अनुपालन न किये जाने की तिथि तक रू0 15000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये। उक्त के अतिरिक्त निर्देशित किया जाता है कि बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 81060/सी-1/ जल-306/ का0ब0नो0/2022 दिनांक 13.09.2022 का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाये।

.....2/-

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत

(प्रदीप शर्मा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref No: 40/869 /C-1/जी-716/का0ब0नो0/2023

Date: 12/10/23

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स जय मां गारमेन्ट्स,
ए-16, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी,
गाजियाबाद।

यह कि इकाई मैसर्स जय मां गारमेन्ट्स, ए-16, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद जो कि डाइंग एण्ड वाशिंग ऑफ गारमेन्ट के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 248/2023 वरुण गुलाटी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश 17.07.2023 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा उद्योग मैसर्स जय मां गारमेन्ट्स, ए-16, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद का निरीक्षण 07.10.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण कराया गया। आख्यानसार नमूने में प्रचालकों की मात्रा मानकों से अधिक पायी गयी। इकाई द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

यह कि उद्योग मैसर्स जय मां गारमेन्ट्स, ए-16, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन इकाई मैसर्स जय मां गारमेन्ट्स, ए-16, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स जय मां गारमेन्ट्स, ए-16, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?
2. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स जय मां गारमेन्ट्स, ए-16, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत इकाई मैसर्स जय मां गारमेन्ट्स, ए-16, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर अनुपालन न किये जाने की तिथि तक रू0 15000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

.....2/-

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत

(प्रदीप शर्मा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



62
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ANNEXURE-V

Ref No- 40/870 /C-1/जी-718/का0ब0नो0/2023

Date: 12.7.23

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स लक्ष्य इण्टरप्राइजेज (पुराना नाम सिखा इण्टरप्राइजेज),
ए-44, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी,
गाजियाबाद।

यह कि इकाई मैसर्स लक्ष्य इण्टरप्राइजेज (पुराना नाम सिखा इण्टरप्राइजेज), ए-44, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद जो कि डाइंग एण्ड वाशिंग ऑफ गारमेन्ट के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 248/2023 वरुण गुलाटी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश 17.07.2023 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा उद्योग मैसर्स लक्ष्य इण्टरप्राइजेज (पुराना नाम सिखा इण्टरप्राइजेज), ए-44, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद का निरीक्षण दिनांक 07.10.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण कराया गया। आख्यानुसार नमूने में प्रचालकों की मात्रा मानकों से अधिक पायी गयी। इकाई द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

यह कि उद्योग मैसर्स लक्ष्य इण्टरप्राइजेज (पुराना नाम सिखा इण्टरप्राइजेज), ए-44, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन इकाई मैसर्स लक्ष्य इण्टरप्राइजेज (पुराना नाम सिखा इण्टरप्राइजेज), ए-44, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद

के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-


1. यह कि क्यो न इकाई मैसर्स लक्ष्य इण्टरप्राइजेज (पुराना नाम सिखा इण्टरप्राइजेज), ए-44, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?
2. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स लक्ष्य इण्टरप्राइजेज (पुराना नाम सिखा इण्टरप्राइजेज), ए-44, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

.....2/-

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उत्त्लंघन के दृष्टिगत इकाई मैसर्स लक्ष्य इण्टरप्राइजेज (पुराना नाम सिखा इण्टरप्राइजेज), ए-44, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गार्डलाईन के आधार पर अनुपलान न किये जाने की तिथि तक रू0 15000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत



(प्रदीप शर्मा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

क

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

क



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ANNEXURE-VI

Ref No- 40/87 /C-1/जी-717/का0ब0नो0/2023

Date: 12/10/23

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स निशा प्रिन्ट,
ए-11, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी,
गाजियाबाद।

यह कि इकाई मैसर्स निशा प्रिन्ट, ए-11, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद जो कि डाइंग एण्ड वाशिंग ऑफ गारमेन्ट एवं स्क्रीन प्रिन्टिंग ऑन क्लाथ के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 248/2023 वरुण गुलाटी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश 17.07.2023 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा उद्योग मैसर्स निशा प्रिन्ट, ए-11, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद का निरीक्षण दिनांक 07.10.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण कराया गया। आख्यानुसार नमूने में प्रचालकों की मात्रा मानकों से अधिक पायी गयी। इकाई द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

यह कि उद्योग मैसर्स निशा प्रिन्ट, ए-11, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन इकाई मैसर्स निशा प्रिन्ट, ए-11, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स निशा प्रिन्ट, ए-11, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?
2. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स निशा प्रिन्ट, ए-11, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत इकाई मैसर्स निशा प्रिन्ट, ए-11, रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाइन के आधार पर अनुपालन न किये जाने की तिथि तक रू0 15000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

.....2/-

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत

(प्रदीप शर्मा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ANNEXURE VII

Ref No- 40/B73 /C-1/जी-180/का0ब0नो0/2023

Date: 12.10.23

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स,

प्लॉट नं0-20/6/21, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,

गाजियाबाद।

यह कि इकाई मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0-20/6/21, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद जो कि डाइंग एण्ड वाशिंग ऑफ गारमेन्ट के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा उद्योग मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0-20/6/21, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद का निरीक्षण दिनांक 26.08.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण कराया गया। आख्यानुसार नमूने में प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों से अधिक पायी गयी, जिससे प्रतीत होता है कि उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है।

यह कि उद्योग मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0-20/6/21, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन इकाई मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0-20/6/21, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-


1. यह कि क्यो न इकाई मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0-20/6/21, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?
2. यह कि क्यो न इकाई मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0-20/6/21, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

.....2/-

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत इकाई मैसर्स एम0ए0 गारमेन्ट्स, प्लॉट नं0-20/6/21, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर अनुपलान न किये जाने की तिथि तक रू0 15000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये। उक्त के अतिरिक्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 58313/सी-1/जल-180/बन्दी आदेश-निलम्बन/2021 दिनांक 02.02.21 का अनुपलान तत्काल सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत




(प्रदीप शर्मा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ANNEXURE-VII

Ref No: 40/874 /C-1/जी-540/का0ब0नो0/2023

Date: 12/10/23

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज,
प्लॉट नं०-28/1/15, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,
गाजियाबाद।

यह कि उद्योग मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं०-28/1/15, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद जो कि डाइंग एण्ड ब्लिचिंग ऑफ रेडिमेड गारमेन्ट के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा उद्योग मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं०-28/1/15, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद का निरीक्षण दिनांक 26.08.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई से जनित उत्प्रावह का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण कराया गया। आख्यानानुसार नमूने में प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों से अधिक पायी गयी, जिससे प्रतीत होता है कि उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है।

यह कि उद्योग मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं०-28/1/15, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन इकाई मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं०-28/1/15, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं०-28/1/15, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाये?
2. यह कि क्यों न इकाई मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं०-28/1/15, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें?

.....2/-

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत इकाई मैसर्स श्री महावीर इण्टरप्राइजेज, प्लॉट नं०-28/1/15, साईट-4, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद के विरुद्ध मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर अनुपालन न किये जाने की तिथि तक रू० 15000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये। उक्त के अतिरिक्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 84375/सी-1/जल/जी-540/का०ब०नो०-निकेप/2022 दिनांक 18.11.2022 का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत

(प्रदीप शर्मा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार डिफाल्ट अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1